में जरूर संशोधन होना चाहिए । अगर किसी समय इलैक्शन कमीशन समझे कि उसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह लिखित कारण दे कि संशोधन क्यों नहीं किया गया है । मैं समझता हूं कि प्रवर समिति की ओर से जो संशोधन इस सदन में उपस्थित होने वाला है, उस से माननीय सदस्य का उद्देश्य पूरा हो जायेगा ।

मैं देखता हूं कि कोई भी विधेयक जब इस सदन के सामने आता है, तो हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को उस में दुर्गंध मालूम होती है । मालूम नहीं कि दुर्गंध उनके नाक में है या दिल में है । वे हर एक विधेयक के बारे में सोचते हैं कि उससे शासनारूढ़ पार्टी का कोई हित होने वाला है । लेकिन यह संशोधन तो बिल्कुल सीधा-सादा है— यह सदन उसको माने या न माने, वह अलग बात है—कि अगर इलैक्शन के सम्बन्ध में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध झूठा दोषारोपण किया जाये और अदालत में साबित हो जाये कि वह आरोप झूठा है, तो उस को करप्ट प्रैक्टिस माना जाये । मैं नहीं समझता कि इस का विरोध क्यों किया जाता है । यहां पर हमें बोलने की आजादी है, हम किसी के खिलाफ़ कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बाहर अगर किसी पर झूठा आरोप लगाया जाये, जिनके ऊपर चुनाव को चलाने की जिम्मेदारी है, अगर वे अदालत में जाकर किसी आदमी पर, किसी कैंडीडेट या वोटर द्वारा झूठ आरोप लगाये, तो इसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाये, इस में क्या बुराई है ।

18. hrs.

मैं समझता हूं कि इस बिल पर जब प्रवर समिति की रिपोर्ट और सरकार के द्वारा जो पियुपिल्ज रिप्रेजेन्टेशन एक्ट आने वाला है, उस समय हमारे माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे । अन्त में मैं माननीय बड़े साहब से यह कहूंगा कि हर [बात में दुर्गन्ध बताना, नाक के सामने कोई दुर्गन्ध हो तो ठीक है, लेकिन हर बात में दुर्गन्ध अनुभव करना उचित नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : बड़े जी ने बहुत लम्बी चौड़ी बड़ी भाषा में, लम्बी चौड़ी भाषा में कांग्रेस पर दोष लगाया है । कांग्रेस लोगों को रुपया देती है, पैसा देती है । अनेकों प्रकार से प्रभावित करती है । लेकिन बात कुछ उल्टी है । अगर आज किसी के पास पैसा है तो जनसंघ के पास सब से ज्यादा पैसा है । बल्कि उसके पास बहुत से ऐसे मामले हैं जो मनुष्य की धार्मिक भावनाओं को, साम्प्रदायिक भावनाओं को उभार कर लोगों को उद्वेलित करते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ वोट दो, जो कि कांस्टीचूशन के खिलाफ बात है । कांग्रेस गवर्नमेंट को धन्यवाद दीजिये । उस ने हर एक नागरिक में, भारतवर्ष की जनता में इतनी चेतना उत्पन्न कर दी है कि आज जनता पुलिस से नहीं डरती, मोटर से नहीं डरती, झण्डे से नहीं डरती, मिनिस्टर से नहीं डरती । और यदि पुलिस को साथ लेकर कोई मिनिस्टर जाये, तो उस मिनिस्टर को वोट मिलने वाला नहीं है । पुलिस हमारे वास्ते एडवान्टेज की चीज नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप अभी खत्म करना चाहते हैं, या आगे जारी रखना चाहते हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : आगे जारी रखना चाहता हूं ।

18.02 hrs.

STATEMENT *RE.* BANNING OF COW-SLAUGHTER

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): A demand for banning the slaughter of cows has been pressed over the last several years in one form or other and from different platforms. Government have been aware of the need for taking effective steps for banning cow-slaughter, organising

[Shri Nanda]

agriculture and animal husbandry on sound lines and preserving and improving the breeds of cows and calves and other milch and draught cattle. Our Constitution itself directs that such steps should be taken. Some of us in this House will recall that art. 48 of the Constitution, which lays down the Directive Principle of State Policy regarding improvement in the breeds of cow and cattle and the prohibition of cow slaughter, was supported by almost all sections of opinion when it was debated in the Constituent Assembly. This Directive Principle recognises the importance of cattle preservation in a country the economy of which is predominently agricultural.

After the Constitution was promulgated, a large number of States enacted, one after another, legislation to give effect to the principle contained in art. 48. My colleague, Shri Subramaniam, pointed out in a statement which he made on the subject in the last session of Parliament on August 23, 1966, that Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra in the Vidarbha region, Mysore in the old Mysore area, Orissa, Punjab, Rajasthan, U.P., Jammu and Kashmir and Delhi had imposed total ban on cow slaughter as interpreted by the Supreme Court. Partial ban had been introduced by Andhra Pradesh in the Telengana region, in Assam, in Madras, in Maharashtra in the former Bombay area and in West Bengal. He had also said that Government would bring to the notice of the State Governments the need for having legislation in terms of the Directive Principle of State Policy.

In pursuance of this announcement, State Governments were addressed by the Food and Agriculture Ministry. I also addressed the Chief Ministers of State Governments, where only partial ban had been introduced, as well as Governments of Union Territories on 8th October, 1966, drawing their attention to the matter. We have asked the State Governments, where such ban does not exist at present, to bring forward legislation for the purpose of prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle. As far as the Union Territories are concerned, steps to undertake appropriate legislation will be taken immediately.

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : कांग्रेचुलेशन्ज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री बड़े (खारगोन) : मैं यह जानना चाहता था कि आगरा के पास हजरतपुर में एक बूचड़खाना है, जहां 32 करोड़ रुपये की मशीन है, क्या आप उसको बन्द करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस का इस बयान से क्या ताल्लुक है, मशीन लगी है, उस के बारे में क्या कह सकते हैं ।

श्री बड़े : मेरा मतलब है कि बूचड़खाना बन्द करने जा रहे हैं क्या ? जब स्लाटर बन्द होगा तो बूचड़खाना अपने आप बन्द हो जायेंगे, महाराष्ट्र में, गुजरात में क्या बूचड़खाना बन्द करेंगे ?

Shri Nanda: These are side questions. I made a statement of policy on the subject. It is not a question of banning slaughter of all cattle, there can be slaughter houses for other purposes.

Shri Bade: Cow slaughter.

Shri Nanda: That is not right. So, far as cow slaughter is concerned, the U.P. Government has already imposed a ban. Therefore, nobody can slaughter a cow there anywhere.

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी ने जो यह कहा कि जिन प्रान्तों में, राज्यों में अब तक गऊ-कशी चल रही है, वहां यह लिखा गया है कि इस सम्बन्ध में कानून बनाये जायें, तो अगर कुछ राज्यों ने इस

बात को नहीं माना, तो क्या सरकार अपनी नीति के अनुसार केन्द्र में इस सम्बन्ध में कुछ करने वाली है, या नहीं करने वाली है ? अगर करने वाली है, तो यह चूंकि अन्तिम अधिवेशन है, इस अधिवेशन में इस सम्बन्ध में केन्द्र की ओर से कोई कानून पास होने वाला है या नहीं होने वाला है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया है है कि सेन्टर की तरफ़ से, केन्द्र की तरफ़ से जो, यूनियन टेरिटरीज हैं, उन में अभी नियम बनायेंगे, बाकी जिन स्टेट्स में पाबन्दी है, वहां पर स्टेट्स बनायेंगी, लेकिन जहां पाबन्दी नहीं है, वहां ये कार्यवाही करेंगे ।

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): Let public opinion be also created in these States.

श्री बागड़ी (हिसार) : क्या गृह मंत्री इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे कि गऊ आन्दोलन के तेहत जिन साधुओं को गिरफ्तार किया गया है, जैसे स्वामी रामेश्वरानन्द हैं, जो इस सदन के सदस्य हैं, दूसरे लोग हैं, इनकी फौरी रिहाई और जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, उन मुकदमों की वापसी के लिये कुछ विचार कर रहे हैं ? अगर नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ?

श्री नन्दा : मैं इस का क्या जवाब दूं, पकड़े भी जाते हैं और छूटते भी हैं । ये शायद छूट भी गये हैं . . . .

श्री बागड़ी : उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं, उनको वापस ले रहे हो क्या ?

श्री त्यागी (देहरादून) : माफी मांगेंगे तो वापस ले लेंगे । (**व्यवधान**)

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : जनसाधारण की भावना को आत्मसात् करते हुए केन्द्र सरकार ने इसमें जो निर्णय लिया है, मैं उसके लिये बधाई देता हूं । लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जहां आपने उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है जहां गऊ वध होता है तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों को लिखा है, वहां क्या आपने कोई ऐसी रेखा भी खींची है कि कब तक यह कार्य सम्पन्न हो जायेगा । जो लोग इस आन्दोलन में हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको भी बुला कर ऐसा समाधान किया जाय, ताकि देश में कोई इस प्रकार का वातावरण पैदा न हो, जिससे कुछ कठिनाई पैदा हो ।

अध्यक्ष महोदय : यह सजेश्चन है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री गुलजारीलाल नन्दा ने परिस्थिति की भयंकरता को नहीं आंका । 7 नवम्बर को जो प्रचण्ड प्रदर्शन पार्लियामेंट पर होने वाला है, उसको ढीला करने और कमर तोड़ने के लिये यह सारा लचर वक्तव्य दिया है, लेकिन आपके द्वारा गृह मंत्री और सरकार से जानना चाहता हूं . . . .

अध्यक्ष महोदय : इतना कहने की क्या जरूरत है कि लचर वक्तव्य दिया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी हां ।

मैं जानना चाहता हूं कि यदि केन्द्रीय सरकार सचमुच हृदय से इस बात में विश्वास करती है कि देश में गोवंश की हत्या पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये तो राज्य सरकारों द्वारा, जिनको गृह मंत्री ने पीछे भी पत्र भेजे हैं, जैसे कि बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने मना किया था कि मैंने इस पर कोई सहमति नहीं दी, और भी चीजें हो सकती हैं । ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों पर इस विषय को न छोड़ कर केन्द्रीय सरकार कानून बनाने से क्यों हिचकती है । यदि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हो तो जैसे 20 या 21 बार उस में संशोधन किया गया है, 22वें बार भी किया जा सकता है । अगर केन्द्रीय सरकार ने ऐसा न किया तो मैं

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

निश्चित विश्वास दिलाता हूं कि जब तक सम्पूर्ण देश में गोवध पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा, आन्दोलन दरअसल बढ़ता जायेगा और परिस्थिति विषम से विषमतर होती जायेगी ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : मैं श्री नन्दा से यह जानना चाहता हूं कि जो गोवंश दूध देने के अयोग्य हो जाये, बूढ़े हो जायें अथवा बैल, उन के वध पर भी यह लागू होगा या नहीं ।

श्री नन्दा : मैंने बतला दिया है कि कांस्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा है उसके मताबिक बैन होगा । जहां पर ऐसा नहीं है वहां लिखा गया है कि उन्हें कर देना चाहिये ।

श्री बड़े : इस से कोई समाधान नहीं होगा ।

श्री नन्दा : यूनियन टेरिटरीज में कानून बनाया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या यूजलेस कैटल पर भी बैन है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : बैलों पर भी ।

श्री नन्दा : जैसा कांस्टिट्यूशन में लिखा है वैसा किया जायेगा ।

18.11 hrs.

STATEMENT *RE.* LOCATION OF STEEL PLANT

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh): Government's thinking in regard to the pattern of steel production during the Fourth Plan is firstly an expansion of the existing plants and the putting up of one integrated steel plant going up to 1·7 million tonnes production at Bokaro with a possibility of its expansion later. A provision has been made for preliminary work on new sites to form the nuclie of facilities which will be developed into full-fledged steel plants later.

Government's basic objectives are the best utilisation of available resources in the national interest, dispersal of industry for the greatest possible development of all regions and the spreading of employment opportunities throughout the country. The Government of India are aware of the widespread desire among and the aspirations of the people of Andhra Pradesh, Mysore and Madras to have steel plants located suitably in their areas to utilize iron ore deposits found in these areas or nearby. In a democratic set-up such as we have in India it is obvious that the wishes of the people will be fully taken into account in making decisions. The Prime Minister has already said so in Hyderabad when questioned on the location of future steel plants in India,

It must be realised that a decision on the location of future steel plants is a very complex matter involving a number of economic, technical and other considerations. I would appeal to Members of the House and to the public in general to have patience and to give an opportunity to Government to consider all the factors involved in a dispassionate and objective but, nevertheless, sympathetic way. The leaders of the people and the party to which I have the privilege of belonging will not deny justice to any part of the country while acting completely in the national interest.

Shri Ranga (Chittoor): I would like to know whether the Government had any idea of implementing the recommendations made by the technical consortium in addition to satisfying the demands of other are as also in Madras and Mysore in regard to the steel plants because I do not know whether I have heard him aright. He does not seem to have made any kind of offer to assure the Andhras.